न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 29/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 देवाराम पुत्र जेठाराम जाति रावणा राजपूत निवासी रायपुरिया तहसील रानी		1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत असिस्टेन्ट कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2012 (68/2012) में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रायपुरिया के खसरा नम्बर 342 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि पर बी.एस.एन.एल. का टॉवर स्थापित कर भूमि का बिना भूमि रूपान्तरण करवाए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील निर्णय के जरिये वादस्थ भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किया गया, जो अनुचित है। चूंकि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था, तो अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे प्रकरण का निस्तारण वाद के अनुरूप तनकीयात कायम कर, साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई एवं समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन करवाए बिना उस पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर कृषि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किया जाकर भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा था, जो स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा सक्षम कानून के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रायपुरिया के खसरा न्मबर 342 रकबा 4.21 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा इस भूमि में से 0.04 हैक्टेयर भूमि पर बिना भूमि का संपरिवर्तन करवाए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेते हुए मोबाईल टॉवर स्थापित किया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, वह विधि में प्रदत्त प्रारूप में नहीं है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के नियम 60 के उप–नियम (2) अनुसार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन जो नोटिस जारी किया जाना है, वह प्रपत्र "एक्स" में जारी किया जावेगा। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प वणदार में जैर अपील निर्णय पारित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में जो प्रक्रिया वर्णित है, हस्तगत प्रकरण में उस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विपक्षी पक्षकार को नियमों में विहित प्रारूप में नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है तथा धारा 177 (4) के अनुसार यदि विपक्षी नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी रानी

में उल्लिखित अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने का विरोध करता है, तो न्यायालय, यथोंचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर, उस आवेदन पत्र को वाद पत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा, जिस पर एक वाद में कार्यवाही की जाती है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई। चूंकि प्रकरण में विपक्षी द्वारा बेदखल किये जाने का विरोध किया गया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वे प्रार्थना पत्र को वाद पत्र में परिणीत कर तनकीयात कायम कर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात को विनिश्चित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करते, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इन समस्त प्रक्रियाओं का अभाव सिद्ध हुआ है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा असिस्टेन्ट कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 68/2012 (116/2012) बअनवान सरकार बनाम देवाराम में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के अनुसार कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली